

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक:-प 14 ()स्था0/17/5761

दिनांक 5.2.2018

आदेश

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक राम/भू-अ0/ई-3/परीक्षा/प-279 /851-882 दिनांक 5.02.2018 द्वारा आंवटित व राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता परीक्षा 2015 से चयनित अभ्यर्थियों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी पद पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्याधीन दी जाती है :-

(1) राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 (सी0सी0) अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाता है व नियम 5 के परन्तुक (1) के अनुसार नियम पारिश्रम (fixed Remuneration) देय होगा । वर्तमान में नियम पारिश्रमिक रु 14600/-प्रतिमाह है ।

(2) प्रशिक्षण अवधि 6 माह की होगी । प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एवं दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि सन्तोषजनक पूर्ण होने पर आपको नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जा सकेगी । यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जाएगी ।

(3) उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय की एस0बी0सिविल रिट संख्या 9454/2017 देवेन्द्रसिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं एस0बी0सिविल रिट संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस0बी0सिविल रिट संख्या 8454/2017 श्रवणस्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्णोई बनाम राजस्थान राज्य, सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनम कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017 एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017 एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13009/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13089/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13008/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13090/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13011/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13007/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017, के निर्णय के अध्याधीन रहेगी ।

(4) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षणोपरान्त राज्य सरकार के अधीनस्थ पटवारी के पद पर आपको कम से कम 03 वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी ।


(5) इस नियुक्ति के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू होगी ।

(6) प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भता देय नहीं होगा ।

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षु पटवारी मय पिता का नाम	गृह जिला	जन्म दिनांक	लिंग	श्रेणी
1	राधेश्याम पिता गुल्लाराम यादव	जयपुर	13/02/995	पुरुष	OBCM
2	लोकेश पिता रामकिशन जेवलिया	जयपुर	01/08/1993	पुरुष	OBCM
3	राधा पिता रामालाल रेगर	राजसमन्द	23/07/1992	महिला	SCF

(Handwritten signature)

नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारियों को दिनांक 7.2.2018 तक अपनी उपस्थिति सर्वउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान टोक जिला टोक मे देनी होगी । प्रशिक्षणशाला मे मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होवे । 6 माह प्रशिक्षण अवधि मे विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी ।


(पी०सी०डेवरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

दिनांक 2.2.2018

क्रमांक:-प 14 ()स्था०/17/5062-5076
प्रतिलिपि:-

1. निबन्धक राजस्व मण्डलराजस्थान अजमेर ।
2. निदेशक राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर ।
3. संभागीय आयुक्त उदयपुर संभाग उदयपुर।
4. जिला कलक्टर टोक
5. जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द/जयपुर चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की कार्यवाही हेतु ।
6. अति० जिला कलक्टर नोडल अधिकारी राजसमन्द ।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एनआई०सी० राजसमन्द नवनियुक्त पटवारियों के नियुक्ति पत्र को बेबसाईट पर ऑनलाईन कराना सुनिश्चित करे ।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी राजसमन्द को प्रकाशनार्थ ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द/जयपुर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच कर प्रमाण पत्र उसी दिन अभ्यर्थी को उपलब्ध करावे ।
10. प्रधानाचार्य सर्वउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान टोक जिला टोक ।
11. श्री राधेश्याम पिता गुल्लाराम यादव / लोकेश पिता रामकिशन जेवलिया / राधा पिता रामालाल रेगर मूल दस्तावेजो की जाँच /सत्यापन मय चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन की जाँच दिनांक 2.2.2018 तक आवश्यक रूप से करावे तथा दिनांक 7.2.2018 से पटवार प्रशिक्षण शाला टोक मे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ।
12. व्यक्तिगत पत्रावली श्री-----


(पी०सी०डेवरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द